"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114/-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2006—चैत्र 17, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (23).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक में दिनांक 1-4-2006 से प्रभावशील निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक की,

(1) प्रविष्टि क्रमांक 16 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाय—

"समस्त प्रकार का कपड़ा, जिसमें सभी प्रकार के खादी के कपड़े तथा हाथकरघा कपड़े सम्मिलित है, किन्तु सिल्क, सिल्क के कपड़े और टाट (हेसियन क्लाथ) सम्मिलित नहीं है."

(2) प्रविष्टि क्रमांक 49 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाय—

"शक्कर तथा खांडसारी, जिसमें मिश्री, चिरौंजी तथा बताशा सम्मिलित नहीं है."

(3) प्रविष्टि क्रमांक 52 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाय—

"तम्बाकू-निर्मित या अनिर्मित, अभिसाधित या अनाभिसाधित तथा तम्बाकू उत्पाद जिसमें सिगरेट, सिगार, चुरूट, बीड़ी एवं गुडाखु सम्मिलित है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (23), दिनांक 7-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/33/2006/CT /V (23).—In exercise of power conferred by sub-section (2) of section 15 the State Government hereby makes following amendment with effect from 1-4-2006 in Schedule-I to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) :—

AMENDMENT

In Schedule-I to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),

(1) For entry No. 16 following shall be substituted :—

"All varieties of cloth including all types of khadi cloth, handloom cloth but excluding silk, silk cloth and hessian cloth."

(2) For entry No. 49 following shall be substituted :—

"Sugar and khandsari excluding mishri, chironji and batasha."

(3) For entry No. 52 following shall be substituted :—

"Tobacco manufactured or un-manufactured, cured or un-cured and tobacco products including cigarettes, cigars, cheroots, bidis and gudakhoo."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/34/2006/वाक/पांच (24).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो में दिनांक 1-4-2006 से प्रभावशील निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-2 की प्रविष्टि क्रमांक 101 का लोप किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/34/2006/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/34/2006/वाक/पांच (24), दिनांक 7-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/34/2006/CT /V (24).—In exercise of power conferred by sub-section (1) of section 15-A the State Government hereby makes following amendment with effect from 1-4-2006 in Schedule-II to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) :—

AMENDMENT

In Part-II of Schedule-II to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), entry No. 101 be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/37/2006/वाक/पांच (25).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक में दिनांक 1-4-2006 से प्रभावशील निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक की,

प्रविष्टि क्रमांक 4 में शब्द ''खाद्य, कुक्कुट खाद्य'' के पश्चात् शब्द ''और पशुआहार'' प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/35/2006/वाक/पांच (26).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो में दिनांक 1-4-2006 से प्रभावशील निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो की,

(1) प्रविष्टि क्रमांक 15 में शब्द ''इमीटेशन गोल्ड से बनी वस्तुएं'' के पश्चात् शब्द ''और इमीटेशन ज्वेलरी'' प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) प्रविष्टि क्रमांक 63 में शब्द ''वायरलेस उपकरण तथा उसके पुर्जे'' के पश्चात् शब्द ''डीवीडी तथा सीडी'' प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.